

**न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर**

राजस्व अपील संख्या 44/2021

श्री किशनलाल पुत्र श्री रामेश्वर, जाति जाट, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ,  
जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ

.....रेस्पोन्डेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम 1956

उपस्थित :-1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलान्ट की ओर से।  
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

:- आदेश :-

दिनांक-21.09.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि संवत् 2077 में श्री किशनलाल पुत्र श्री रामेश्वर, जाति जाट, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ ने ग्राम सुरसुरा के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1524 कुल रकबा 0.3316 हैक्टर किस्म आखरिया में से रकबा 0.0323 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान व चारदीवारी का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार रूपनगढ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 111/2021 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 12.07.2021 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शारित कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 12.07.2021 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिन्दु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से प्राप्त एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर विधि के प्रावधानों के विपरीत प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा



अपर कलक्टर  
अजमेर

मौके की स्थिति की जांच किए आक्षेपीय आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत 1995 आर.बी.जे. पेज 460 के अनुसार :-

"Rajasthan Land Revenue Act 1956- Section 91- When provisions of this section cannot be invoked.

Section 91 of the Act prescribed a summary procedure for eviction of a person who is found to be in unauthorised occupation of Government land. The said provisions cannot be invoked in a case where the person in occupation raises bonafide dispute about his right to remain in occupation over the land".

इसी प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत 2006 आर.बी.जे. पेज 291 के अनुसार :-

"Rajasthan Land Revenue Act 1956- Section 91- Powers under this section can be exercised only against trespassers".

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अनुसरण में सद्भाविक काबिज व्यक्ति को अतिक्रमी के रूप में माना जाकर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही विधिक प्रावधानों के विपरीत है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा वैधानिक रूप से सद्भाविक रहा है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कब्जा पश्चातवर्ती अतिक्रमी के रूप में सिद्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत बिना दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अवैधानिक रूप से आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। उनका कथन है कि अपीलान्ट भूमिहीन काश्तकार है एवं उसका वादग्रस्त आराजी पर मकान निर्मित है एवं अपीलान्ट अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। अपीलान्ट के पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई रहवासी स्थान उपलब्ध नहीं है एवं अपीलान्ट परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में उसे मौके से बेदखल कर निर्माण तोड़ दिया जाता है तो स्पष्टतः न्याय का हनन होगा एवं उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। अपीलान्ट का पक्का मकान नियमन किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत पेशी दिनांक 16.06.2021 को नोटिस जारी कर बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये उनके समक्ष अपीलान्ट के अतिक्रमी के रूप में कब्जे संबंधी किसी प्रकार की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के बावजूद साईक्लोस्टाईल रूप से आक्षेपीय आदेश पारित किया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान व चारदीवारी का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है जो पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से सिद्ध है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मौके की जांच करवाने के पश्चात् विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने



अपर कलेक्टर  
अजमेर


पर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्त निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान व चारदीवारी का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के साथ ही गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है जो नियमन योग्य भी नहीं है। अपीलान्त का यह कथन भी गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर मौके की जांच करने के पश्चात् अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हम उक्त आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 21.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।



  
(कैलाश चन्द्र शर्मा)  
अपर कलक्टर,  
अजमेर